F. No.6-12/2026/Legal/9632

कार्यालय / **Office**

लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill and Training Council

Accredited by: National Healthcare Quality and Accreditation Council
Member: National Allied and Healthcare Professional Association
प्रशासनिक कार्यालयः द्वितीय तल, सुनील कॉम्प्लेक्स, डबल्यू० के० रोड मेरठ– 250002
विधिक अनुभाग / Legal Department
वेबसाइट / **www.lbspstc.in** संपर्क सूत्र / **0121–4349311**

****

दिनांक / Dated: 11.07.2026

सेवा में,

सचिव,

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद,

लखनऊ, उत्तर प्रदेश

विषयः– IGRS शिकायत संख्या 15138250137636 दिनांक 01–07–2025 के संबंध में प्रत्युत्तर।

संदर्भः– स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना / टैबलेट वितरण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों को सम्मिलित किए जाने संबंधी प्रकरण। शासनादेश / पत्र संख्या 444 / 77–1–2025(1483683), दिनांक 22–07–2025, औद्योगिक विकास अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक IGRS शिकायत संख्या 15138250137636, दिनांक 01–07–2025 में अभ्यावेदनकर्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि लाल बहादुर शास्त्री पैरामेडिकल स्किल एंड ट्रेनिंग काउंसिल से संबद्ध समस्त विद्यार्थियों / प्रशिक्षणार्थियों को स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत समाविष्ट किया जाए। उत्तर प्रदेश शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–1, लखनऊ द्वारा निर्गत **शासनादेश / पत्र संख्या 444 / 77–1–2025(1483683), दिनांक 22–07–2025,** जो श्री राम बृज राम, अनु सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा जारी किया गया, के माध्यम से उक्त परिषद से संबद्ध विद्यार्थियों / प्रशिक्षणार्थियों को स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना तथा टैबलेट वितरण योजना के अंतर्गत आच्छादित / सम्मिलित किए जाने के संबंध में आवश्यक निर्णय एवं निर्देश पूर्व में ही निर्गत किए जा चुके हैं। उपर्युक्त शासनादेश के अनुपालन में परिषद से संबद्ध सभी पात्र विद्यार्थियों / प्रशिक्षणार्थियों को दिनांक 22–07–2025 को ही उक्त योजना के दायरे में सम्मिलित किया जा चुका था, फलस्वरूप, शिकायत में अपेक्षित मुख्य राहत वस्तुतः उसी तिथि को संतुष्ट हो चुकी थी। वांछित प्रशासनिक कार्यवाही पूर्व में ही संपादित हो चुकी है, तब प्रकरण में किसी पृथक, नवीन अथवा अतिरिक्त आदेश / हस्तक्षेप

नोट: UPBTE तथा उ०प्र० शासन सचिव को भी एक प्रतिलिपि मुहैया कराकर संबंधित पत्रावली दफ्तर दाखिल की जाये

A. Giri 11/07/2026

सचिव / Secretary
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill and Training Council

की कोई आवश्यकता विधिक अथवा प्रशासनिक दृष्टि से शेष नहीं रह जाती है। शिकायत में उल्लिखित विषय अब अकादमिक या प्रशासनिक विवाद का विषय नहीं रह गया है, बल्कि शासनादेश दिनांक 22–07–2025 के अनुपालन द्वारा उसका निस्तारण प्रभावी रूप से हो चुका है। अतः शिकायत का आशय अब निष्प्रभावी हो चुका माना जाना न्यायोचित एवं समुचित होगा।

अतएव, उपर्युक्त तथ्यों, अभिलेखों तथा शासनादेश दिनांक 22–07–2025 के आलोक में विनीत निवेदन है कि IGRS शिकायत संख्या 15138250137636 को निस्तारित/समाप्त मानते हुए आवश्यक अभिलेखीकरण एवं समापन की कार्यवाही करने का कष्ट किया जाए। यह प्रत्युत्तर लाल बहादुर शास्त्री पैरामेडिकल स्किल एंड ट्रेनिंग काउंसिल के विधिक अनुभाग की ओर से पूर्ण सद्भाव, सत्यनिष्ठा तथा अभिलेखीय तथ्यों के आधार पर प्रेषित किया जा रहा है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता,

उपसचिव/Joint Secretary
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय
कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
Lal Bahadur Shastri Paramedical
Skill and Training Council

(श्री अभिषेक त्रिपाठी)
उप–सचिव
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय
कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद

प्रष्ठांकन संख्याः– F.6-12/2026/ विधिक अनुभाग/9632 दिनांकः 22/07/2026

उपसचिव/Joint Secretary
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय
कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
Lal Bahadur Shastri Paramedical
Skill and Training Council

(श्री अभिषेक त्रिपाठी)
उप–सचिव
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय
कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद

(डॉ० सोनम आर्य)
रजिस्ट्रार
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय
कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
भारत